महत्वपूर्ण

संख्या-ई०एम०2211/15-7-2002-161171/1992

प्रेषक,

श्याम सुन्दर अग्निहोत्री
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (मा०),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

(7) अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 31 जनवरी, 2003

विषय:- प्रदेश में स्थित अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में हिन्दी को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में लाया गया है कि प्रदेश में स्थित कतिपय अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में हिन्दी को अनिवार्य विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जा रहा है तथा कतिपय विद्यालयों में तो हिन्दी पढ़ायी नहीं जाती है ।

2- उक्त के परिप्रेक्ष्य में यह कहना है कि प्रदेश में स्थित ऐसी शिक्षण संस्थाओं का सर्वेक्षण जिला विद्यालय निरीक्षकों से करा लिया जाय कि जिन विद्यालयों में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में नहीं पढ़ायी जा रही है। यदि सी०बी०एस०ई०/आई०सी०एस०ई० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र शासन द्वारा दिया गया है तथा उन विद्यालयों में हिन्दी अनिवार्य रूप से अथवा हिन्दी नहीं पढ़ायी जाती है तो अनापत्ति समाप्त करने की कार्यवाही की जानी चाहिए ।

3- भविष्य में खुलने वाले स्कूलों के बारे में अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने का प्रस्ताव भेजते समय इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ायी जा रही है अथवा नहीं ?

4- कृपया उपर्युक्त के संबंध में प्रदेश के समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों/मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को अपने स्तर से इस आशय के स्पष्ट दिशा निर्देश देने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(श्याम सुन्दर अग्निहोत्री)
संयुक्त सचिव ।

से यदि विद्यालय ... सम्बन्धित ... को
...ीय उप शिक्षा निदेशक अपने स्तर से सम्बन्धित
... में सूचित करेंगे।

2595

संख्या- /2003/15-7-16(1)/1/92

प्रेषक,

अखिलेश चन्द्र गुप्त,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (मा० शिक्षा)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

शिक्षा (7) अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 12 जुलाई, 2002

विषय:- उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त विद्यालयों को सी0बी0एस0ई0 नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र न दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में आया है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 से मान्यता प्राप्त विद्यालय सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में आवेदन कर रहे हैं । जो कि प्रदेश के निर्बल व कमजोर वर्ग के हित में नहीं होगा ।

2- समाज के दुर्बल एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के हितों के दृष्टिगत शासन स्तर से सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 से मान्यता प्राप्त विद्यालयों को सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जायेगा, भूमि भवन अलग परिसर में होने की स्थिति में उक्त संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने पर विचार किया जा सकेगा ।

3- कृपया अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में शासन को आख्या भेजने से उक्त तथ्यों का भलीभाँति परीक्षण कर स्पष्ट आख्या भेजने का कष्ट करें तथा इस आशय के स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदेश के समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को दिया जाना सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

(अखिलेश चन्द्र गुप्त)
अनु सचिव ।